# न्यायालय अपर जिला कलक्टर मुकाम सीकर

सरकार बनाम गोपाल लाल यादव

मुकदमा नम्बर 76 / 2026 / एफएसएस एक्ट 2006 व नियम 2011

| | | |
|---|---|---|
| 24.03.2026 | पत्रावली पेश हुई। खाद्यसुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी गोपाल लाल यादव पुत्र मांगूराम यादव निवासी वार्ड नं. 5, ढ़ाणी देवजीवाली दिवराला मैसर्स– न्यू जगदम्बा मिष्ठान भण्डार शाहपुरा रोड़, एचपी पेट्रोल पम्प के पास, अजीतगढ़ की और से वकील श्री कैलाश स्वामी उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा जवाब आवेदन पेश किया गया एवं बहस सुनी गई। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब आवेदन एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किये जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 09.10.2025 को निरीक्षण के दौरान अप्रार्थी द्वारा विक्रय किये जा रहे मावा का नमूना संख्या एफ–5260 लिया गया। जांच रिपोर्ट में उक्त नमूना **Sub-standard** का पाया गया। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् अप्रार्थी को पुनः जांच हेतु लिखे जाने पर अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं की गई। इस प्रकार अप्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। नमूना संख्या एफ–5260 खाद्य पदार्थ मावा जांच रिपोर्ट में अमानक स्तर का पाया गया। उक्त नमूना अमानक स्तर का नहीं होने के सम्बंध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोग शाखा, जयपुर की रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकरण **Sub-standard** का पाये जाने से अप्रार्थी को भविष्य में अमानक रहित खाद्य पदार्थो का विक्रय किये जाने की हिदायत के साथ एवं खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 के तहत अप्रार्थी के 10,000 / – रूपये का जुर्माना किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जुर्माना राशि राज्यकोष में जमा करवाये, वरना अप्रार्थी के विरूद्व इस अधिनियम के विरूद्व कार्यवाही की जावेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।<br><br>निर्णय सुनाया गया। | |

न्याय निर्णायक अधिकारी
एवं (अपर जिला मजिस्ट्रेट)
सीकर (राज.)